कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1-96/ 262-70 दिनांक: 15-5-96

विषय:- प्राथमिक विद्यालय/विभाग को स्थाई मान्यता ।

---0---

नवोदय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल इन्दिरा कालोनी फरीदाबाद के प्राथमिक विभाग को ----------को

1-4-96 ----------से xxxवी पहली से पांचवीं तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1- यह संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा में किसी भी पद की स्वीकृति तथा ... सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी ।

2- भविष्य में निर्धारित नार्म अनुसार विद्यालय में जे0बी0टी0 ट्रेण्ड अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।

3- विद्यालय में कार्यरत जे0बी0टी0 अध्यापकों के छ: मास के वेतन की राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लेज्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

4- वेतन भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा ।

5- सभी जे0बी0टी0 अध्यापकों की सी0पी0 एफ0 की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाया करेगी ।

6- संस्था को शिक्षा की धारा 214 के अन्तर्गत ऐजुकेशन कोड की शर्तों को पूरा करना होगा । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो स्थाई मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

7- सी0 डबल्यू0 यू0 एफ0, रैडक्रास तथा स्पोर्टस फण्डज़ की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला प्राथमिक शिक्षा अधि... के कार्यालय में जमा कराना होगा ।

8- विद्यार्थियों से फीस/फण्डज़ की राशि सरकारी दरों के अनुसार ली जायेगी ... लड़कियों की पहली से पांचवीं तक की शिक्षा के लिये किसी प्रकार की फ... नहीं लेनी होगी ।

9- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।

ओ0 पी0 शर्मा
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद ।

पृ0 क्रमांक: सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

2- खण्ड शिक्षा अधिकारी------बल्लबगढ़-2------

3- सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।

4- अनुभाग अधिकारी स्थानीय ।